न्यायालय जिला कलेक्टर (आर्बिट्रेटर) सवाई माधोपुर

प्रा.पत्र. (आर्बिट्रेशन) संख्या 30/20 वर्ष 2020

GCMS No- 2020/00115

बउनवानीः– 1. धूलीलाल पुत्र प्रहलाद मीना निवासी डेकवा तहसील सवाईमाधोपुर

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये परियोजना निदेशक परियोजना कियान्वयन, ईकाई कार्यालय पटेल नगर, अनाज मण्डी रोड़ सवाईमाधोपुर,

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,64 राईटू फेयर कम्पेशेशन एण्ड ट्रांसपेरेंसी इन लेण्ड एक्यूजेशन रिहेबिलिटेशन एण्ड दी सेटलमेंट एक्ट,2013 बाबत एन.एच.148 एन. के तहत ग्राम डेकवा तहसील सवाईमाधोपुर की अवाप्तशुद्वा भूमि खसरा नम्बर 274 रकबा 1.19 है0 का मुआवजा देने बाबत।

उपस्थितः–1. श्री हरकेश मीना वकील प्रार्थी

2. श्री दीपक शर्मा वकील अप्रार्थी 2

–ः निर्णय ः– दिनांकः– 19.10.2023

प्रार्थी द्वारा यह अन्तर्गत धारा,64 राईटू फेयर कम्पेशेशन एण्ड ट्रांसपेरेंसी इन लेण्ड एक्यूजेशन. रिहेबिलिटेशन एण्ड दी सेटलमेंट एक्ट,2013 बाबत एन.एच.148 एन. के ग्राम डेकवा तहसील सवाईमाधोपुर की अवाप्तशुद्वा भूमि खसरा नम्बर 274 रकबा 1.19 है0 का मुआवजा देने बाबत जारी नोटिस क्रमांक भूमि अवाप्ति/पीए/भू0अवा./संरचना/2020/385 दिनांक 27.08.2020 को निरस्त करवाने बाबत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया साथ ही विपक्षीगणों की भी तलवी जरिये नोटिस की गयी। तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन.के. (दिल्ली–बडौदरा एक्सप्रेस वे के 236 से 304 किमी निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या क.अ. 2306 (अ)दिनांक 6.6.2018 द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को भूमि अवाप्ति अधिकारी के रूप में प्राधिकृत किया गया था। दिनांक 4.1.2019 को धारा 3डी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के अन्तर्गत एक अधिसूचना जारी की गयी जिसके द्वारा प्रार्थी की भूमि ख0न0 274 रकबा 1.19 है0 अवाप्त की गयी है जिसकी पूर्व विकय पत्रों के अनुसार बाजार दर 67,000/–रू प्रति एयर के हिसाब से 79,73,000/–रू दिलवाया जावे। उक्त भूमि पर अमरूद के 500 पौधे तथा नीबू के 20 पौधे , अनार के 2 पौधे, बरबोडी के 6 पौधे, बबूल के 5 पौधे एवं नीम का एक पेड सहित कुल 534 पेड अवाप्त हुऐ है इसके अतिरिक्त 900 फिट तारफैंसिंग, बोरीगं,एक कमरा जिसकी माप (10x10 S.F) है का अवार्ड प्रार्थी को पडौसी खातेदार दशरथ के बराबर दिलवाया जावे। अवाप्ति के समय पौधो की आयु 4 वर्ष थी किन्तु अवार्ड 2 वर्ष से दिया गया है अतः 4 वर्ष की आयु के अनुसार अवार्ड दिलवाया जावे। प्रार्थी को भूमि एवं पौधो का अवार्ड मात्र 19,05,000/–रू का नोटिस जारी किया गया है जबकि प्रार्थी 1,42,91,000/–रू व भूमि की राशि 79,73,000/–रू व 900 फिट ड्रीप सिस्टम की राशि 2,00,000 [illegible] ,00,000/–रू व 10x10 फीट के कमरे की राशि 5,00,000/– व तार फेन्सिग की की [illegible] लाख रूपये दिलवाने बावत प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को आपत्ति [illegible] लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी तरह की कोई सुनवायी नही की गयी है। अतः उक्तानु[illegible] प्रार्थी को [illegible] जाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया।

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:47:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

विद्वान वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सवाईमाधोपुर जिलें मे ए.एच.148एन के कि.मी. 236 से कि.मी.304.4 तक के निर्माण (चौडीकरण/ पेव्ड शोल्डर सहित 2–लेन/4–लेन का बनाना आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचलन के लोक प्रयोजन के लिये भूमि अवाप्ति की कार्यवाही हेतु अवाप्ति अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 की धारा 3 के खण्ड (क) के अन्तर्गत सड़क एवं परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.2306(अ) दिनांक 5.6.2018 द्वारा नियुक्त किया गया है तत्पश्चात राजमार्ग के प्रावधान 3(ए) की अधिसूचना दिनांक 21.8.2018 को अधिसूचना जारी की गयी जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र में दिनांक 23.8.2018 को प्रकाशित किया गया। दो समाचार पत्र "दैनिक भास्कर "एवं "राजस्थान पत्रिका "में दिनांक 8.9.2018 को किया गया। उक्त अधिनियम की धारा 3 ए के नोटिफिकेशन जारी होने के 21 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति की सुनवायी सक्षम अधिकारी कर सकता है। जिसके परिप्रेक्ष्य मे जो आपत्तियॉ प्रस्तुत की गयी उनका धारा 3 सी के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निस्तारण किया जाता है। उसके पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा 3डी की उपधारा 1 के अन्तर्गत अवाप्त की जाने वाली भूमि की अधिसूचना जारी करने हेतु रिपोर्ट भेजी गयी जिसके आधार पर दिनांक 4.1.2019 को धारा 3(डी) की अधिसूचना जारी की गयी जिसमे अवाप्त भूमि की *किस्म बारानी–2 निजी सिंचित* दर्ज करते हुए स्वामित्वधारी का उल्लेख किया गया। इस अधिसूचना के राजपत्र मे दिनांक 7.1.2019 को प्रकाशन पर उक्त अनुसूचि मे विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर आत्यान्तिक रूप से केन्द्र सरकार मे निहित हो जावेगी। अधिसूचना जारी कर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर दिनांक 12.6.2019 को अवार्ड पारित कर दिया गया है। उक्त अवार्ड राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा–3ए की अधिसूचना से तीन वर्ष पूर्व में सम्पादित विक्रय विलेखो की संख्या के अधिकतम दर के आधे विक्रय पत्रों की औसत दर एवं प्रत्येक ग्राम की डीएलसी दर का संज्ञान लेते हुए बाजार मूल्य निर्धारित किये गये है प्रार्थीगण की अवाप्त भूमि का अवार्ड उनके पक्ष मे जारी किया जा चुका है। सर्वे कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम डेकवा की भूमि ख0न0 274 रकबा 1.91 है0 मे से अवाप्त भूमि रकबा 0.0675 है0 की अवार्ड राशि 1,02,251/–रू प्रार्थी को दी गयी है तथा उक्त भूमि पर लगे हुए अमरूद के 500 पौधो की राशि 19,05,000/–रू एवं 1 बरे के पेड की राशि 6252/–रू एवं 1 अनार के पेड की राशि 20190/–रू एव टयूब वेल का 2.00 लाख रूपये एवं कच्चा घर की आवार्ड राशि 71,962/–रू का भुगतान हितबद्व व्यक्ति स्वंय प्रार्थी को किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत खसरा नम्बर 274 की खसरा गिरदावरी सम्वत् 2074 (वर्ष 2017) मे शिशु बगीचा अंकित है जिसके आधार पर अवाप्ति की कार्यवाही के समय पौधो की आयु 2 वर्ष ही बनती है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत उक्त आर्बिट्रेशन प्रार्थना पत्र तथ्यहीन होने के कारण खारिज फरमाये जाने बाबत वकील अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब/बहस मे निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:47:22 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

वकील उभय पक्षो की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में भूमि ख0न0 274 रकबा 1.19 है0 अवाप्त की गयी भूमि का पूर्व विक्रय पत्रों के अनुसार बाजार दर 67,000/–रू प्रति एयर के हिसाब से 79,73,000/–रू दिलवाया जावे। उक्त भूमि पर अमरूद के 500 पौधे तथा नीबू के 20 पौधे , अनार के 2 पौधे, बरबोडी के 6 पौधे, बबूल के 5 पौधे एवं नीम का एक पेड सहित कुल 534 पेड अवाप्त हुऐ है इसके अतिरिक्त 900 फिट तारफैंसिंग, बोरीगं,एक कमरा जिसकी माप (10x10 S.F) है का अवार्ड प्रार्थी को पडौसी खातेदार दशरथ के बराबर दिलवाने एवं अवाप्ति के समय पौधो की आयु 4 वर्ष मानते हुए पौधो की राशि 1,42,91,000/–रू व भूमि की राशि 79,73,000/–रू व 900 फिट ड्रीप सिस्टम की राशि 2,00,000/–रू व टयूबवेल का 1,00,000/–रू व 10x10 फिट के कमरे की राशि 5,00,000/– व तार फेन्सिग की कीमत 1,00 लाख रूपये दिलवाने का निवेदन किया है। किन्तु पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार ग्राम डेकवा की भूमि ख0न0 274 रकबा 1.91 है0 मे से अवाप्त भूमि रकबा 0.0675 है0 की अवार्ड राशि 1,02,251/–रू प्रार्थी को दी गयी है तथा उक्त भूमि पर लगे हुए अमरूद के 500 पौधो की राशि 19,05,000/–रू एवं 1 बेर के पेड की राशि 6252/–रू एवं 1 अनार के पेड की राशि 20190/–रू एव टयूब वेल का 2.00 लाख रूपये एवं कच्चा घर की आवार्ड राशि 71,962/–रू का भुगतान हितबद्व व्यक्ति स्वंय प्रार्थी को किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत खसरा नम्बर 274 की खसरा गिरदावरी सम्वत् 2074 (वर्ष 2017) मे शिशु बगीचा अंकित है जिसके आधार पर अवाप्ति की कार्यवाही के समय पौधो की आयु 2 वर्ष ही बनती है। ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा विधिसम्मत पारित अवार्ड मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही है।

उक्त विवेचन के आधार प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आर्बिट्रेशन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर प्रार्थी के पक्ष मे उक्तानुसार पारित अवार्ड यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.10.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.12.19 11:47:22 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाईमाधोपुर

Scanned with OKEN Scanner